<u>उम्मीदवारों के लिए अनुदेश</u>
<u>अनुभाग अधिकारी ग्रेड 'बी' सीमित विभागीय</u>
<u>प्रतियोगी परीक्षा, 2019 – 2020 - लिखित परीक्षा के लिए</u>

1. ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र मिलने पर उम्मीदवार सभी विवरण की सावधानीपूर्वक जांच कर लें और विसंगतियां, यदि कोई हों, तत्काल आयोग की जानकारी में लाएं। **<u>परीक्षा के सभी सत्रों में ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र/सरकारी पहचान-पत्र परीक्षा हाल में अवश्य लाएं।</u>** उम्मीदवार ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र की अभिरक्षा के लिए इसका उचित ध्यान रखे और यह भी सुनिश्चित करे कि इसका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न हो और ऐसा होने पर वे पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। तकनीकी कारणों से कभी-कभी उम्मीदवार (रों) के नाम ई-प्रवेश पत्र में प्रिंट करते में समय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग को पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार द्वारा भरे गए परिवर्तित नाम पर, इस परीक्षा संबंधी सभी कार्यालयी प्रयोजनों हेतु विचार किया गया है।

2 (क) परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश लेते समय ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र सहित अपना सरकारी पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची और आयोग के साथ किए गए समस्त पत्राचार में उनके हस्ताक्षर समरूप हों और उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाती है तो आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. परीक्षा हॉल में प्रवेश लेने के बाद उम्मीदवार, ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक की उपस्थिति में उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर करे और उसे निरीक्षक को सौंप दे। उम्मीदवार सभी प्रपत्रों अर्थात् आवेदन प्रपत्र और उपस्थिति सूचियों के संगत कॉलमों में ध्यानपूर्वक समरूप हस्ताक्षर करें। यदि उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाती है, तो आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

4. परीक्षा के लिए आपका प्रवेश पूर्णतया <u>**अनंतिम**</u> है। उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी करने का यह अर्थ नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुवीकार कर ली गई है या उसने पात्रता की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात्, परीक्षा संबंधी नियमों में विनिर्धारित शर्तों के संबंध में किसी स्तर पर अपात्रता का पता चलने तथा आयोग के नोटिस और उसके अनुबंध में दिए अनुदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर उसे उक्त परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी और/या नियुक्ति हेतु उस पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह परीक्षा में शामिल हुआ हो या और उसने उसमें अर्हता प्राप्त कर ली हो। ऐसे मामलों में उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. **(क) उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले से परीक्षा-स्थल में प्रवेश करने की अनुमति होगी।** उत्तर पुस्तिकाओं/ उत्तर पत्रकों (ओएमआर शीट) का वितरण परीक्षा प्रारंभ होने के

वास्तविक निर्धारित समय से पूर्व किया जाएगा, ताकि उम्मीदवार उसमें मुद्रित अनुदेशों को पढ़ लें, और कतिपय विवरण दर्ज कर लें। अतः, परीक्षा-स्थल में समय पर रिपोर्ट करना उम्मीदवार के हित में होगा।

(ख) प्रत्येक सत्र में, परीक्षा हॉल/स्थल के परिसर में उम्मीदवारों का प्रवेश, परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले बन्द कर दिया जाएगा।

6. कोई उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल नहीं करेगा, न ही अपने पेपर की नकल कराएगा, और न ही किसी प्रकार की अनुचित सहायता देगा या देने का प्रयास करेगा या प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उम्मीदवार ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र या समय-सारणी या 'उम्मीदवारों के लिए अनुदेश' पर कुछ भी नहीं लिखेगा।

7. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रयोजन के लिए निरीक्षक की **<u>पूर्व अनुमति के बिना</u>** परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। शौचालय जाने से पूर्व, उम्मीदवार अपनी उत्तर-पुस्तिका बंद कर दे और शौचालय जाते समय किसी भी प्रकार की परीक्षा सामग्री अपने साथ न ले जाए। किसी भी उम्मीदवार को प्रत्येक सत्र में परीक्षा के **अंतिम 30 मिनट** के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।

8. परीक्षा के सहज संचालन के लिए परीक्षा हाल में अनुशासन और शांति बनाए रखना आवश्यक है। परीक्षा-स्थल में धूम्रपान या चाय पीना आदि पूर्णतया प्रतिबंधित है। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में रबड़ या स्टेश्नरी की किसी भी अन्य सामग्री का आपस में आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

9. परीक्षा हॉल/कक्ष में क्लिप बोर्ड अथवा हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ न लिखा हो, एच. बी. पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर और पेन/बॉल प्वाइंट पेन के अलावा किसी अन्य वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है।

10. **<u>उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में पेजर/सेलुलर फोन/ब्लूटूथ या अन्य किसी प्रकार के परस्पर संप्रेषणीय उपकरण को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है</u>। यदि वह ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाएगा तथा इसे आचरण/सेवा नियमावली के उल्लंघन के तौर पर भी माना जाएगा। जिसके फलस्वरूप उम्मीदवार पर विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।**

11. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा-स्थल में मोबाइल फोन /पेजर/आई.टी गैजेट आदि सहित कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अपने साथ न लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

12. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा हॉल में कोई भी कीमती सामान/मूल्यवान वस्तुएं न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुई क्षति के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13. प्रदर्शित की गई बैठने की व्यवस्था अनुक्रमांक के अनुसार है। उम्मीदवार, परीक्षा हालों/कक्षों में जाने से पूर्व अपनी सीट की वास्तविक स्थिति की जांच कर लें। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर वे पर्यवेक्षक से संपर्क करें।

14. उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका/ओएमआर पत्रक में निश्चित स्थान के अलावा कहीं भी अपना अनुक्रमांक अथवा नाम न लिखें। उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका में कोई भी असंगत बात अर्थात् प्रश्नों के वास्तविक उत्तरों के अलावा कुछ न लिखें।

15. उम्मीदवार प्रत्येक प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशों तथा **अपने द्वारा चयन किए गए माध्यम,** जहां भी संगत हो, के अनुसार टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन संबंधी प्रश्नों को हल करे। **यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र में भरे गए माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करता है, तो ऐसे उम्मीदवार के पेपर (पेपरों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।**

16. उत्तर पुस्तिका मिलते ही उम्मीदवार तुरंत यह जांच कर लें कि यह पूर्ण है। यदि, उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ने कम हैं या कवर पृष्ठ पर क्रम संख्या नहीं दी गई है, तो इसे बदलने के लिए, यह तथ्य तत्काल निरीक्षक के ध्यान में लाया जाए। यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका प्रयोग में लाता है, तो उसे पहली उत्तर-पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर प्रयुक्त उत्तर-पुस्तिका की कुल संख्या निर्दिष्ट करनी होगी। **उम्मीदवार अपनी उत्तर-पत्रक के साथ छेड़-छाड़ न करें और न ही उसे अपने साथ ले जाए। ऐसा करने का प्रयास करने पर उसे दण्ड दिया जाएगा।**

17. यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किए जाते हैं, तो केवल पहले हल किए गए और निर्धारित संख्या तक हल किए गए प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा तथा शेष प्रश्नों के उत्तरों की जांच नहीं की जाएगी।

18. उम्मीदवार, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्हें प्रदान किए गए सभी खुले पत्रकों यथा सारांश-पत्रक, ग्राफ-पत्रक आदि, चाहे प्रयुक्त हों या अप्रयुक्त, उत्तर पुस्तिका के अंदर रख दें तथा उन्हें और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका(ओं), यदि कोई हों, को अच्छी प्रकार से नत्थी कर दें।

19. परीक्षा हॉल / कमरों में धूम्रपान करना या चाय और जूस पीना, स्नैक्स आदि लेना पूर्णतया वर्जित है।

20. उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक लिखने में किए गए सभी संशोधनों और परिवर्तनों में उम्मीदवारों तथा निरीक्षकों के आद्यक्षर तथा पर्यवेक्षक के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिएं।

21. उम्मीदवार द्वारा उत्तर स्वयं अपने हाथ से तथा काले/नीले पेन से लिखे जाएं। बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आने वाले पात्र उम्मीदवारों तथा जिन्हें लिखने में बाधा आती है, उन्हें परीक्षा के नोटिस के अनुसार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति होगी। ऐसे स्क्राइब के विवरण उम्मीदवार द्वारा पहले ही ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र में भरा जा चुका है। **ओएमआर पत्रक/उत्तर-प्रत्रक (वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर) में काले बॉल पेन के अलावा किसी अन्य से उत्तर अंकित करने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।**

22. प्रश्न पत्र का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो तकनीकी शब्दावली, यदि कोई है, के विवरण के हिन्दी रूपांतरण के साथ कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी रूपांतरण भी दे सकते हैं। <u>ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और इसमें किसी भी स्तर पर किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।</u>

23. **पेपरों के लिए आबंटित समय पूरा होने तक कोई उम्मीदवार परीक्षा हॉल छोड़कर न जाए।**

24. **परीक्षा हॉल/कमरे में सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं/ओएमआर पत्रक निरीक्षक (निरीक्षकों) द्वारा एकत्रित तथा गणना किए जाने तक उम्मीदवार बैठे रहें।**

25. **परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग से किसी प्रकार का यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।**

26. उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका/प्रश्न पत्र के कवर पृष्ठ पर दिए गए ऐसे अन्य अनुदेशों अथवा परीक्षा के पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए अन्य अनुदेशों का पालन अवश्य करें। यदि उम्मीदवार ऐसा करने में असफल रहता है या अभद्र व्यवहार अथवा अनुचित आचरण करता है, तो उसे परीक्षा हाल से बाहर किया जा सकता है।

27. उम्मीदवार को रफ कार्य के लिए कोई अतिरिक्त पत्र नहीं दिया जाएगा। रफ कार्य के लिए परीक्षण पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ (ठों) का प्रयोग किया जा सकता है।

28. उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

29. *वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दण्ड (ऋणात्मक अंकन) दिया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में परीक्षा की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।*

30. पेपर-III का उत्तर देते समय उम्मीदवार भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (उदाहरण 1,2,3,4,5 आदि) का ही प्रयोग करें।

31. खराब लिखावट के लिए यथोचित अंक काटे जा सकते हैं। जहां लिखावट अपठनीय है और लिखी गई विषय-वस्तु परीक्षक के अपने विचार में मूल्यांकित नहीं की जा सकती, वहां अंक (क्रेडिट) नहीं दिए जाएंगे।

32. परम्परागत प्रकार के पेपर में उम्मीदवार यह ध्यान दें कि अगले प्रश्न पर जाने से पहले वे उस प्रश्न के सभी भागों को पूरा करें जिसे करने का वे प्रयास कर रहे हैं।

33. *किसी भी अनुदेश का पालन न करने (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) पर आयोग उम्मीदवार को अपने विवेकानुसार उचित दंड दे सकता है और साथ ही उसके विरूद्ध उपयुक्त विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।*